-1-

169

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–टीकमगढ़

रिव्यु-4432-III-13

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 10.12.13 को प्रस्तुत

10-12-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– भगवानदास पुत्र दुर्जनलाल कुशवाह

2– सीताराम पुत्र दुर्जनलाल कुशवाह

3– किशोरीलाल पुत्र दुर्जनलाल कुशवाह

निवासीगण– ग्राम सीतापुर तहसील जतारा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

4– श्रीमती कलिया पुत्री स्व. श्री दुर्जनलाल कुशवाह पत्नी श्री कुंजीलाल कुशवाह, निवासी– ग्राम मजना तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

5– श्रीमती यशोदा पुत्री स्व. दुर्जनलाल कुशवाह पत्नी श्री सुन्दरलाल कुशवाह, निवासी– कंदवा तहसील जतारा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– हीरा पुत्र प्रभु कुशवाह

2– सीताराम पुत्र प्रभु कुशवाह

3– जगदीश पुत्र प्रभु कुशवाह

निवासीगण– ग्राम सीतापुर तहसील जतारा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

4– फारूख आत्मज असगर अली मुसलमान, निवासी– जारा मौहल्ला जतारा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3944-II/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम सीतापुर तहसील जतारा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 760 जुज एवं 790 जुज रकवा क्रमशः 0.459 व 1.011 हेक्टेयर कुलकिता 2 कुल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4432–तीन/13 जिला –टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.7.2016	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3944–दो/2012 आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4432–तीन/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3944–दो/2012 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 9.10.2012 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 4432–तीन/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

रिव्यू- 4432.III/13 (त.निपार6)

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य